न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री सर्वेश्वर निम्बार्क ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 07 / 2026

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. चुतराराम पुत्र पोकरराम व्यस्क 2. इन्द्रादेवी पत्नी पोकरराम व्यस्क 3. पूनमाराम पुत्र पोकरराम व्यस्क 4. राणाराम पुत्र पोकरराम व्यस्क 5. विशनाराम पुत्र पोकरराम व्यस्क 6. खेतूदेवी पत्नी धुड़ाराम व्यस्क 7 जेठाराम पुत्र धुड़ाराम व्यस्क 8. जयराम पुत्र धुड़ाराम व्यस्क 9. रावताराम पुत्र धुड़ाराम व्यस्क 10. गोरधनराम पुत्र बुधाराम व्यस्क 11 चिमनाराम पुत्र बुधाराम व्यस्क 12. निम्बाराम पुत्र बुधाराम व्यस्क 13. शेखर पुत्र वुधाराम व्यस्क 14. नरपतराम पुत्र लिखमाराम 15. भावाराम पुत्र लिखमाराम 16. मोमताराम पुत्र लिखमाराम 17. रावताराम पुत्र लिखमाराम 18. हथूदेवी पत्नी लिखमाराम 19. शान्तिदेवी पत्नी सवाराम 20. सुरेश कुमार पुत्र सवाराम 21 खेताराम पुत्र अमराराम व्यस्क जातियान नाई निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1 सवाराम पुत्र राणाराम व्यस्क 2. जूंजाराम पुत्र राणाराम व्यस्क 3 चम्पादेवी पत्नी राणाराम व्यस्क जाति जाट निवासी खारा महेचान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 4. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1. श्री अर्जुनराम प्रजापत, वकील प्राथीगर्ण की ओर से उपस्थित।
2.राज.पैरोकार नायब तहसीलदार विप्रार्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 2 स्वयं उपस्थित। शेष एकतरफा।

आदेश

दिनांक– 30.04.2026

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण काश्तकार है एवम् प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जासुदा का खेत खसरा संख्या 648 रकबा 10.4199 हैक्टेयर का ग्राम खारा महेशान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आया हुआ

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

है। कि प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु कोई कटाण रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 648 के चारों ओर से काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थीगण की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरकारी सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के आराजी खेत ग्राम खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा खसरा संख्या 648 रकबा 10.4199 हैक्टेयर मे जाने हेतु खसरा संख्या 1035/642 रकबा 6.6014 हैक्टेयर में से नया मार्ग खोलने का आदेश कर मय स्वीकृत मार्ग को राजस्व रेकर्ड मे रास्ता के रूप में अंकित करने का आदेश फरमावे ।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 2 स्वयं द्वारा उपस्थित विप्रार्थीगण की तरफ से जवाब मय परिशिष्ठ–ब प्रस्तुत करते हुए अपनी खातेदारी जोत के किनारे–किनारे मार्ग निकालने की सहमति व्यक्त की गई। विवादित भूमि की मौका रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई। शेष विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा।

3.उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस कि प्रार्थीगण काश्तकार है एवम् प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जासुदा का खेत खसरा संख्या 648 रकबा 10.4199 हैक्टेयर का ग्राम खारा महेशान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आया हुआ है। कि प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु कोई कटाण रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 648 के चारों ओर से काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए विप्रार्थीगण की उक्त खसरे में से होकर गुजरना पड़ता है। और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यन्तिक आवश्यकता है। कि वर्तमान में तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के साथ ही विप्रार्थीगण खेत खसरा संख्या 1035/642 की किनारे–किनारे सहमति के साथ ही पड़ौस के खेत खसरा संख्या 649 द्वारा अपनी भूमि में किये गये समर्पण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित परिशिष्ट–ब अनुसार रास्ता दिया जावे। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है।

4.विप्रार्थी संख्या 4 की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के साथ ही पक्षकारान की सहमति के तथ्यों को सम्मिलित करते हुए तद्नुसार आवेदन पत्र का निस्तारण किया जावें।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से अपने खातेदारी के खेत एवं सड़क के मध्य विप्रार्थी गण के खेत ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा खसरा संख्या 1035/642 रकबा 6.6014 हैक्टेयर भूमि से होकर चल रहे रास्ता को स्वीकृत करनें हेतु आवेदन पेश किया गया। जिसमें तहसीलदार सिणधरी से मौका स्थिति की रिपोर्ट न्यायालय द्वारा तलब की गई। तहसीलदार सिणधरी द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना में मौका जांच कर रिर्पोर्ट पत्र कमांक 573/17.04.2026 के द्वारा पेश की गई। जिसमें स्पष्ट अंकन किया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी जोत में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 1035/642 रकबा 6.6014 हैक्टयर ग्राम खारा महेचान पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी में से होकर गुजरना पड़ता है,और इसके अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। इससे स्पष्ट है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क तक पहुचनें के लिए उक्त खेत में से होकर गुजरना पड़ता है और अन्य विकल्प रास्ता नहीं है,इससे स्पष्ट साबित होता है,कि प्रार्थी को अपने खेत से होकर मुख्य सड़क मार्ग तक पहुचनें के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र वैकल्पिक है। परन्तु विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों में प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को उनके प्रस्तावित भू–भाग के अतिरिक्त खेत के किनारें से दिये जाने एवं उससे आगे पड़ौसी खेत खसरा संख्या 649 में समर्पित भूमि को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित परिशिष्ट–ब अनुसार रास्ता बिना प्रतिफल के दिये जाने की सहमति व्यक्त की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु प्रस्तावित खेत खसरा संख्या 1035/642 के रास्ते के रूप में परिशिष्ट–ब अनुसार बिना प्रतिफल के दिये जाने सहमति एवं मूल खेत के दो टूकड़ो में विभाजित नहीं को ध्यान में रखते हुए खेत के किनारे–किनारे 4 मीटर चोड़ा रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम खारा महेचान के ख.सं. 1035/642 रकबा 6.6014 हैक्टेयर में बाद सहमति के प्रस्तुत परिशिष्ठ'ब अनुसार नक्शे में बरंग गुलाबी कलर ––––दर्शाये अनुसार चौड़ा 4 मीटर का रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित चोड़ाई को ध्यान में रखते हुए लम्बाई की गणना कर निर्धारित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विप्रार्थीगण द्वारा अपनी ओर सहमति पूर्वक प्रस्तुत परिशिष्ठ–ब उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(सर्वेश्वर निम्बार्क)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 30.04.2026 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी